5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित

# न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

निगरानी 2025-PBR/15 ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. /निगरानी/ /अध्यक्ष/2015

श्री जगदीश श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा आज दि. 2/7/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट -15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती उमा शर्मा पत्नी श्री संतोष शर्मा निवासी दीनदयाल नगर ग्वा0 ...प्रार्थी

बनाम

1. अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर म0प्र0
2 मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरार म0प्र0 ...प्रतिप्रार्थी

**<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 3/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांकी 26.06.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>**

श्रीमान जी,

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2025–पीबीआर / 2015 (उमा शर्मा / शासन)
जिला–ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 29.03.2016 | उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 12 / 14–15 / 172(5) में दिनांक 12–5–2015 को आदेश पारित कर आवेदिका पर रुपये 10,00,000 / – का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर वसूली के आदेश दिये गये हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा अपील पंजीबद्ध कर ली गई है । ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह आवश्यक था कि अपर कलेक्टर अर्थदण्ड की वसूली को स्थगित करते, क्योंकि यदि आवेदक से अर्थदण्ड की राशि वसूल कर ली गई, तब उसे जहॉ अपूर्णनीय क्षति होगी, वहीं अपर कलेक्टर के समक्ष प्रचलित अपील निरर्थक हो जायेगी । अतः आवेदिका से की जा रही रुपये 10,00,000 / – वसूली की कार्यवाही तीन माह तक के लिये स्थगित की जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण का अंतिम निराकरण तीन माह के भीतर करें । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है ।<br><br>अध्यक्ष | |